पत्रांक–9A/विविध पत्राचार 07–04/2025– (9A)/रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–.......................

विषय – माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में विभिन्न प्रमण्डलीय मुख्यालयों/जिलों में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रमों में प्राप्त मामलों/शिकायतों के निष्पादन एवं अनुश्रवण के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि दिनांक–12.12.2025 से पटना प्रमंडल मुख्यालय से प्रारम्भ कर दिनांक–31.12.2025 तक अन्य तीन प्रमण्डलों– मुंगेर, तिरहुत एवं कोशी से संबंधित जिलों में माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम एवं राजस्व से संबंधित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी है एवं उक्त के दौरान प्राप्त जन शिकायतों/मामलों के निष्पादन तथा विभागीय कार्यो विशेषकर – दाखिल–खारिज, परिमार्जन, भू–मापी, अतिक्रमण, भूमि विवाद, राजस्व न्यायालय संबंधी कार्यों की गुणवत्तापूर्ण, नियमानुकूल एवं त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक निदेश दिये गये है।

I. उक्त संदर्भ में सभी संबंधित जिले, जहाँ अबतक भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है, के अपर समाहर्त्ता को निदेश दिये जाते है कि –

(1) भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में प्राप्त सभी आवेदनों को अपर समाहर्त्ता के स्तर से अविलम्ब जन शिकायत पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। कोई भी आवेदन/संलग्न साक्ष्य खो ना जाए।

(2) प्राप्त संकलित विवरणी, जिसमें अनिवार्य रूप से शिकायतकर्त्ता का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, शिकायत का विषय/संक्षिप्त विवरण/जन संवाद की तिथि अंकित हो विभागीय ई–मेल Revenue-bih@gov.in एवं अपर समाहर्त्ताओं से संबंधित विभागीय Whatsapp Group में भेजा जाए।

(3) प्राप्त सभी शिकायतों का परीक्षण कर नियमानुसार निष्पादन भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की तिथि से 15 दिनों के अन्दर करते हुए विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाए।

इस परिप्रेक्ष्य में पटना, लखीसराय एवं मुजफ्फरपुर जिला अविलम्ब कृत कार्रवाई/निष्पादन/लंबित (कारण सहित) प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

II. राज्य के सभी जिलों के अपर समाहर्त्ता दिनांक–20.11.2025 को दाखिल–खारिज, परिमार्जन, भू–मापी, अतिक्रमण, भूमि विवाद एवं RCMS की स्थिति तथा दिनांक–31.12.2025 तक उसमें हुई प्रगति का प्रतिवेदन सभी अपर समाहर्त्ता दिनांक–07.01.2026 तक अनिवार्यरूपेण विभाग को उपलब्ध कराया जाए। दिनांक–20.11.2025 से दिनांक–14.01.2026 तक का प्रगति प्रतिवेदन पुनः दिनांक–15.01.2026 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

III. भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु विभागीय पत्रांक–728(18), दिनांक–22.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पूर्व में भी निदेश निर्गत है, जिसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त जिला में अंचल, अनुमंडल अथवा जिला स्तर पर प्राप्त जन शिकायतों का भी त्वरित एवं नियमानुकूल निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता की होगी।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

ह0/–
(गोपाल मीणा),
सचिव।

ज्ञापांक–9A/विविध पत्राचार 07–04/2025–20 (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक–02/01/2026

ई-मेल

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार एवं सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा),
सचिव।

E:\2026\9A\Letter_2026.docx

(9)

पत्रांक–18/जनशिकायत (जन कल्याण संवाद)–02–62/2025– 728 (18)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा0प्र0से0
सचिव।

ई–मेल

सेवा में,

समाहर्त्ता,
लखीसराय।

दिनांक– 22/12/2025

विषय :– माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–15.12.2025 को टाउन हॉल, लखीसराय में आयोजित भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त आवेदन/शिकायत पत्रों के निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–15.12.2025 को माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में टाउन हॉल, लखीसराय में आयोजित भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित आवेदकों द्वारा समर्पित आवेदन/शिकायत पत्रों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जन शिकायत पोर्टल पर अपलोड कराया जाना है।

उक्त आवेदनों/शिकायत पत्रों को विभागीय जन शिकायत पोर्टल पर अपलोड कराने के क्रम में विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाय कि:–

1. सभी शिकायतें समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के **Self Initiation Module** के माध्यम से दर्ज हों।
2. अपलोड करते समय प्राप्तकर्त्ता कॉलम में जन कल्याण संवाद दर्ज करेंगें। **"Action To"** कॉलम में संबंधित प्राधिकार (यथा–अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, इत्यादि) एवं **"Information To"** कॉलम में संबंधित प्राधिकार के अलावा विभाग अवश्य अंकित हो। फॉरवर्ड करते समय **"High priority"** लेवल भी मार्क करेंगें।
3. प्रत्येक प्रकरण में निष्पादन/फॉरवर्ड संबंधित सूचना पोर्टल के माध्यम से विभाग को स्पष्ट रूप से दी जाए।
4. सभी मामलों का नियमानुसार निष्पादन कर पोर्टल पर अद्यतन स्थिति दर्शायी जाए।
5. उक्त समस्त कार्रवाई की अंतिन समय–सीमा दिनांक–31.12.2025 तक निर्धारित है।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम में दिनांक–15.12.2025 को प्राप्त सभी आवेदनों को विभागीय जन शिकायत पोर्टल पर अपलोड कराते हुए समयसीमा के भीतर नियमानुकुल पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/– 19/12/25
(गोपाल मीणा),
सचिव।

ज्ञापांक–18/जनशिकायत (जन कल्याण संवाद)–02–62/2025 728 (18)/रा0, पटना–15, दिनांक– 22/12/2025

प्रतिलिपि–माननीय उप मुख्यमंत्री सह–मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/– 19/12/25
(गोपाल मीणा),
सचिव।